प्रकरण संख्या 31/2021

अज अदालत – अपर कलक्टर मुकाम अजमेर

21-7-2021

बनाम सरकार

जितेन्द्र शर्मा Adv

75

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.3.24	उभयपक्ष/प्रार्थी / — । बार ऐसोसिएशन द्वारा कार्य स्थगित [illegible] पूर्ववत कार्यवाही हेतु दिनांक 3-5-24 को पेश हो। (लोकेश कुमार गौतम) अपर कलक्टर अजमेर	
3.5.24	पीठासीन अधिकारी के आज राजकीय कार्यवश मुख्यालय से बाहर/अवकाश पर होने के कारण पूर्ववत कार्यवाही हेतु दिनांक 19.6.24 को पेश हो।	
19/6/24	उभयपक्ष के वकील उपवकील अपीलांट को दिनांक 24/11/21 से 31/3/24 तक 24 अवकाश देने के उपरांत आज भी रेस्पो० सं० 2 से 4 के नाम नोटिस तलबाना सरकार पेश नहीं किए हैं। अतः उन्हें अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली बारे पेश होने नोटिस रेस्पो० सं० 2 से 4 दिनांक 26/6/24 को पेश हो। (लोकेश कुमार गौतम) अपर कलक्टर अजमेर	
26/6/24	उभयपक्ष के वकील उपवकील अपीलांट को दिनांक 19/6/24 को नोटिस तलबाना सरकार पेश करने का अंतिम अवसर दिया गया था किन्तु उन्होंने आज भी नोटिस तलबाना रेस्पो० सं० 2 से 4 के नाम सरकार पेश नहीं किए हैं। वकील अपीलांट द्वारा लगभग 15 माह व्यतीत होने के उपरांत भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई है। जिससे अपीलांट व उनके अधिवक्ता की उक्त अपील को चलाने में किसी प्रकार की कोई रुचि प्रकट होना प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत उभय पक्षकार अपने हक व अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहते हैं तो उन्हें न्यायालय किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के तहत आदेश 9 नियम 3 के अंतर्गत अपील अक्रम पालना/अक्रम तकमील में निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (लोकेश कुमार गौतम) अपर कलक्टर अजमेर	